न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 96/2024 G.C.M.S. No. 2024/428 दर्ज दिनांक : 25.10.2024

अपीलार्थीगण:

गंगासिह पुत्र सावल सिंह जाति राजपुत निवासी खेतासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. सतार खां पुत्र सांकर खाजी
2. अमीर खां पुत्र नीजाम खाजी
3. जमे खां पुत्र अजीता
4. इस्माईल खां पुत्र नीजाम खांजी नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता सायबी
5. नेने खां पुत्र नीजाम खोजी नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता सायबी
6. भुरेखा पुत्र अब्दा
7. मीले खां पुत्र सकार खां
8. मोहम्मद खां पुत्र अजीता
9. रीमजा पुत्र धना
10. सुभान खां पुत्र धना के कायम मुकाम
    10/1 नमो बानु पुत्री सुभान खां पत्नि शेरू खां जाति मुसलमान
    10/2 मुरादी बानु पुत्री सुभान खां पत्नि खाखर खां जाति मुसलमान
    10/3 धली बानु पुत्री सुभान खां पत्नि इस्माईल खां जाति मुसलमान
11. सुभान खां पुत्र नीजाम खां
12. सामत खां पुत्र नीजाम खां
13. सायबी पत्नी स्व. नीजाम खां जातियान तमान मुसलमान निवासीगण तमाम कोरीध्वेचा तहसील बागोडा जिला सांचौर
14. मीर मोहम्मद पुत्र हाजी गाजी वां जाति मुसलमान निवासी मीरगंज खोखा तहसील बागोडा जिला सांचौर
15. विजयसिह पुत्र टीकमसिंहजी जाति राजपुत निवासी बागोडा तहसील बागोडा जिला सांचौर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय बागोडा
17. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोरसीम तहसील बागोडा जिल साचौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2019 बअनवान सतार खां बनाम अमीर खां में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. मो. साबिर हुसैन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 25.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2019 बअनवान सतार खां बनाम अमीर खान में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53. एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 की सामलाती खातेदारी आराजी सरहद मौजा खोखा तहसील बागोडा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 816 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 817 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 818 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 819 रकबा 6.76 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 821 रकबा 0.74 हेक्टर कुल रकबा 9.06 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या का 01 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सख्या 4 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट सख्या 5 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का 1/15 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का 1/10 हिस्सा, रेरपोडेन्ट संख्या 9 का 1/5 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का 1/5 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 13 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 का 1/15 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 15 का 16/453 हिस्सा निहित है एवं उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्टस बंटवाडा करने का निवेदन किया जिस पर उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 को जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के कायम मुकाम 10/1 से 10/3 से खरीद कर ली गई है परन्तु अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में पक्षकार नहीं था जिससे वह धारा 96 सी०पी०सी बाबत् अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतू प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर रहा है। दिनांक 08.02.2022 की आदेशिका में नोटिस अदम तामील प्राप्त होना दर्शाया गया है एवं पेशी दिनांक 19.04.2022 को रखी गई थी परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किये जाने पर बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये पत्रावली दिनांक 08.03.2022 को तलब कर दिनांक 12.03.2022 को तहसीलदार बागोडा से प्राथमिक डिक्री का प्रस्ताव मंगवाये जाने का उल्लेखित करते हुये दिनांक 12.03.2022 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी एवं उसकी पालना रिपोर्ट में उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 12.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें अपीलान्ट गंगासिंह को वादग्रस्त भूमि मे से भूमि दिलवाई गई है परन्तु जब अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में पक्षकार ही नही था तो उसे अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादग्रस्त आराजी मे भूमि दिया जाना भी अपने आप में सदिग्धता उत्पन्न करता है एवं अपीलान्ट सम्पूर्ण आराजी के 1/5 हिस्से की खातेदारी जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद करने के पश्चात् भी उसे प्रत्येक खसरे में भूमि नहीं दिलाई गई है। बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2022 में प्रतिवादी संख्या 5 जो अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 है का नाम भुरे खां की बजाये मठार खां होना अंकित किया है परन्तु भुरे खां व मठार खां दोनो ही अलग अलग व्यक्ति है एवं स्वर्गीय अब्दा के पुत्र है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मठार खां को पक्षकार नही बनाये जाने पर भी उसे निर्णय व डिक्री के जरिये भूमि दी गई है ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन निर्णय व डिकी सदिग्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 मीर मोहम्मद एवं विजयसिंह को खसरा नम्बर 821 सम्पूर्ण बंटवाडे के जरिये दिया गया है एवं अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को सामलाती आराजी में बंटवाडा कर भूमि दिलवाई गई है। जो खसरा नम्बर 821 की भूमि विजयसिंह व मीर मोहम्मद के हिस्से में सम्पूर्ण रखी गई है व भूमि मुख्य रास्ते से लगती एवं किमती भूमि है एवं अन्य खातेदारो को उक्त आराजी में कुछ भी भूमि नहीं दिलाये जाना भी उक्त बंटवाडा भी अपने आप में सदिग्ध होने से निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री के साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा नही बनाया गया है एवं न ही तमाम पक्षकारो को पार्टीशन रूल्स के मुताबिक मौका निरीक्षण की कोई सूचना अथवा उस पर आपति करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण मे से रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के कायम मुकाम से उनका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के खरीद किया गया था परन्तु उसे खसरा नम्बर 821 में कोई भूमि नही दिया जाना भी विभाजन की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं है अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के कायम मुकाम से वादग्रस्त आराजीयात में से उनका सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा दिनांक 06.04.2023 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय कर लिया गया। अतः अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है। हमारे विनम्र मत में अपीलांट पंजीकृत विक्रय विलेख से वादग्रस्त आराजीयात का क्रेता होकर सहखातेदार दर्ज हो चुका था। अतः अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित व्यक्ति है जिसे सुना जाना आवश्यक है लिहाजा प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2022 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 16.10.2024 को वादग्रस्त पर अपने हिस्से की भूमि की देखभाल करने गया तो रेस्पोडेन्ट विजयसिंह व मीर खां एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सतार खा वादग्रस्त आराजी पर खड़े थे एवं उन्होंने कहा कि हमने विभाजन करवाकर उक्त आराजी हमारे हिस्से में दर्ज करवा ली है एवं अब हम इसका मनमर्जी से उपयोग उपभोग कर इसका बेचान कर देगे जिस पर दिनांक 16.10.2024 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय गया एवं वहा पर पुछताछ कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया एवं उसी रोज दिनांक 16.10.2024 को अपीलाधीन निर्णय व डिकी की नकल प्राप्त कर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व उसकी नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिविरूद्ध है। लिहाजा, ऐसे प्रकरण में विलंब सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 08.03.2022 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं उक्त पक्षकार व अधिवक्ता द्वारा राजीनामा या सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई।

5. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्रकरण में यदि कुछ प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र से सहमति जाहिर कर दी जाती है तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2019 बअनवान सतार खां

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम अमीर खान में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 13.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 [illegible] बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली